



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052026-272713
CG-DL-E-19052026-272713

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2026/वैशाख 29, 1948

No. 338]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2026/VAISAKHA 29, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2026

सा.का.नि. 373(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सीमा सुरक्षा बल योद्धक पैरा चिकित्सा कर्मचारीवृंद भर्ती नियम, 2013 को, जहाँ तक उनका संबंध सिस्टर-इन-चार्ज (सूबेदार मेजर), नर्सिंग सिस्टर (निरीक्षक), स्टाफ नर्स (उपनिरीक्षक), भेषजज्ञ/ मुख्य आपात चिकित्सा तकनीशियन (निरीक्षक), भेषजज्ञ/ आपात चिकित्सा तकनीशियन (उपनिरीक्षक), कनिष्ठ आहार विज्ञानी (निरीक्षक), फिजियोथिरैपिस्ट (उपनिरीक्षक), रुधिर बैंक तकनीशियन/प्रयोगशाला तकनीशियन (उपनिरीक्षक) तथा ज्येष्ठ रेडियोग्राफर (उपनिरीक्षक) पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सीमा सुरक्षा बल में पैरा चिकित्सा समूह 'ख' योद्धक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, पैरा चिकित्सा काडर समूह 'ख' योद्धक पद, भर्ती नियम, 2026 है।
- (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना .- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।**4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि .-** उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।**5. प्रोन्नति हेतु चिकित्सक दृष्टया योग्यता. -**

- (1) योद्धक कार्मिकों को अनुसूची में शामिल किसी भी श्रेणी या रैंक या पद में किसी एक पद से दूसरे पर प्रोन्नति हेतु व्यक्ति का सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित चिकित्सा प्रवर्ग SHAPE-I के अनुरूप होना अपेक्षित होगा।
- (2) सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए चिकित्सा मानक:- केवल वे व्यक्ति, जो गृह मंत्रालय की तारीख 20 मई, 2015 को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/असम राइफल्स में भर्ती हेतु चिकित्सा परीक्षा संबंधी यथाविनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तों दिशा-निर्देशों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा विहित स्कीम और उसमें समय-समय पर किए गए पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से उपयुक्त हों, इन नियमों के उपबंधों के अधीन अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- (3) सीधे भर्ती लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शारीरिक मानक:-

क्र.सं.	श्रेणी	ऊंचाई		सीना/छाती	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उन नीचे वर्णित (अनारक्षित), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के सिवाय, अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई/छाती।	165 सेमी	155 सेमी	75-80 सेमी	लागू नहीं होता।
2	क्रम संख्या तीन व चार में दी गई के सिवाय सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/ जिलों के अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई/छाती।	160 सेमी	148 सेमी	75-80 सेमी	लागू नहीं होता।
3	उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई/छाती।	155 सेमी	147 सेमी	75-80 सेमी	लागू नहीं होता।
4	वामपंथी अलगाववाद से प्रभावित जिलों के सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई/छाती	158 सेमी	147 सेमी	75-80 सेमी	लागू नहीं होता।

5	गढ़वाली, कुमाउनी, डोगरा, मराठा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई/छाती।	162.5 सेमी	152 सेमी	75-80 सेमी	लागू नहीं होता।
6	उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई/छाती।	160 सेमी	150 सेमी	75-80 सेमी	लागू नहीं होता।
7	गोरखा प्रादेशिक प्रशासन के अंतर्गत दार्जिलिंग जिले के तीन उप-मंडल-दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुरसियांग से संबंधित तथा निम्नलिखित "मौज़ों" सहित इन उप-मंडलों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई छाती के मानक इस प्रकार होंगे- (1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) तंगमोहन (4) बड़ा चेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा आदलपुर (7) पहाड़ू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापटी वन-1 (11) महानदी वन (12) चम्पासारी वन (13) सालबाड़ी छट भाग-2 (14) सीतोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया	155 सेमी	150 सेमी	75-80 सेमी	लागू नहीं होता।
	वजन	ऊंचाई और आयु के तत्स्थानी में			

(4) अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

6. निरर्हता:- वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त संवर्ग में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

परन्तु कि यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **सेवा का दायित्व** .- इन नियमों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति भारत के किसी भी भाग में या विदेश में सेवा करने के लिए दायी होगा।
8. **शिथिल करने की शक्ति** .- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
9. **प्रारंभिक गठन**.- इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को, अनुसूची में उल्लिखित पदों पर निरंतर आधार पर पदासीन व्यक्तियों को इन नियमों के अधीन नियुक्त माना जाएगा, और उक्त प्रवर्तन से पूर्व उक्त पदों पर निरंतर आधार पर की गई उनकी सेवा को उनकी परिवीक्षा अवधि, ज्येष्ठता, पेंशन संबंधी फायदा तथा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पात्रता विनिश्चित करने हेतु ध्यान में रखा जाएगा।
10. **गैर-भारतीय नागरिकों की अपात्रता** – कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, उसे केंद्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के सिवाय इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा।
परन्तु कि इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात नेपाल या भूटान के नागरिक की बल में नियुक्ति या नियोजन प्रदान करने में विवर्जित नहीं होगी।
11. **अधिवर्षिता** .-(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, उस मास के अंतिम दिन के अपराहन से सेवानिवृत्त होगा, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु अभिप्राप्त करता है, या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित किया जाए, अपनी सेवा से, सेवा निवृत्त होगा।

परन्तु यह कि, जिस व्यक्ति की जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख को है, वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता की निर्धारित आयु से अधिक, सेवा का विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

12. **व्यावृत्ति**.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद संख्या ।	वर्गीकरण ।
(1)	(2)	(3)
1. सूबेदार मेजर (सिस्टर-इन-चार्ज) ।	24* (2026) (*कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा ।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 (रु. 47600-151100) ।	चयन ।	लागू नहीं होता।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिरीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।		
(10)		
प्रोन्नति द्वारा ।		
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ/ पद जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।		
(11)		
प्रोन्नति द्वारा :-		
(i) निरीक्षक (नर्सिंग सिस्टर) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (रु. 44900-142400) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा		
(ii) प्रवेश स्तर पर, यथाविहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।		
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमे से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिरीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।		

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में, किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं होता।
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल		
2. उप महानिरीक्षक - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल		
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी - सदस्य। सीमा सुरक्षा बल		
(1)	(2)	(3)
2. निरीक्षक (नर्सिंग सिस्टर)।	100* (2026). (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900-142400)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)		
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।		
(11)		
प्रोन्नति द्वारा :-		
(i) उप-निरीक्षक (स्टाफ नर्स) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा		
(ii) जिन्होंने प्रवेश स्तर पर यथा विहित, बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।		
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमे से जो भी		

कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :-

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी;

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हों; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हों :-

- (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण;
(ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से साधारण नर्सिंग पाठ्यक्रम में डिग्री या डिप्लोमा; तथा
(iii) केंद्रीय या राज्य नर्सिंग परिषद में जनरल नर्स और मिडवाइफ के रूप में रजिस्ट्रीकृत।

(ग) चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हों, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को, छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल	लागू नहीं होता।

2. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;	
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य ।	
(1)	(2)	(3)
3. उप निरीक्षक (स्टाफ नर्स) ।	215* (2026). (*कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) ।	चयन ।	तीस वर्ष से अनधिक आयु । टिप्पण-1 : केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप और लद्दाख के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
(7)		
<p>आवश्यक अर्हताएँ :-</p> <p>(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण;</p> <p>(ख) मान्यता प्राप्त संस्थान से सामान्य नर्सिंग पाठ्यक्रम में डिग्री या डिप्लोमा; तथा</p> <p>(ग) केंद्रीय या राज्य नर्सिंग परिषद में जनरल नर्स और मिडवाइफ के रूप में रजिस्ट्रीकृत।</p>		

टिप्पण-1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताएँ शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण-2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
आयु : लागू नहीं होता। शैक्षणिक अर्हताएँ : हैं।	दो वर्ष। टिप्पणी : सीधी भर्ती से नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की गई परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए, सुसंगत क्षेत्र में कम-से-कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	आठ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; तथा बानवे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति द्वारा :-

हेड कांस्टेबल नर्स या सहायक नर्स (मिडवाइफरी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100) श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो तथा केंद्रीय या राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा किया हो और केंद्रीय या राज्य नर्सिंग परिषद में जनरल नर्स और मिडवाइफ के रूप में रजिस्ट्रीकृत हों।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता।

1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) - अध्यक्ष;
सीमा सुरक्षा बल
2. उप महानिरीक्षक - सदस्य;
सीमा सुरक्षा बल
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी - सदस्य।
सीमा सुरक्षा बल

विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) सीमा सुरक्षा बल	- अध्यक्ष;	
2. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;	
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य।	
(1)	(2)	(3)
4. सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ) ।	11* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600-151100) ।	चयन ।	लागू नहीं होता ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।
(10)		
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।		
(11)		
प्रोन्नति द्वारा:- (i) निरीक्षक (भेषजज्ञ) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900-142400) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा (ii) जिन्होंने प्रवेश प्रारंभिक स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।		
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमे से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।		
प्रतिनियुक्ति द्वारा:- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी;		
(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या		

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900-142400) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों, अर्थात्:-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो;
- (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्ष की अवधि का भेषजी में डिप्लोमा तथा भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए; तथा
- (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम सौ बिस्तरों वाले अस्पताल या संस्था में भेषजज्ञ के रूप में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का अनुभव।

(ग) चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हों, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को, छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं होता।
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल		
2. उप महानिरीक्षक - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल		
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी - सदस्य। सीमा सुरक्षा बल		
(1)	(2)	(3)
5. निरीक्षक (भेषजज्ञ)।	29*(2026). (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (रु. 44900-142400)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)		
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।		
(11)		
<p>प्रोन्नति के द्वारा:-</p> <p>(i) उप निरीक्षक (भेषजज्ञ) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35400-112400) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा</p> <p>(ii) जिन्होंने प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमे से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:-</p> <p>केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35400-112400) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों, अर्थात्:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो;</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से दो वर्ष की अवधि का भेषजी में डिप्लोमा तथा भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए; तथा</p> <p>(iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम सौ बिस्तरों वाले अस्पताल या संस्था में भेषजज्ञ के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि का अनुभव।</p> <p>(ग) चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।</p>		

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हों, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को, छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं होता।
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा)	- अध्यक्ष;	
सीमा सुरक्षा बल		
2. उप महानिरीक्षक	- सदस्य;	
सीमा सुरक्षा बल		
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	- सदस्य।	
सीमा सुरक्षा बल		
(1)	(2)	(3)
6. उप निरीक्षक (भेषजज्ञ)।	67* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (रु. 35400-112400)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)		
प्रोन्नति द्वारा।		
(11)		
प्रोन्नति के द्वारा:-		
(i) सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29200-92300) में छ: वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा		
(ii) जिन्होंने प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।		

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमे से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।

(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं होता।
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा)	- अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल	
2. उप महानिरीक्षक	- सदस्य; सीमा सुरक्षा बल	
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	- सदस्य। सीमा सुरक्षा बल	
विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा)	- अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल	
2. उप महानिरीक्षक	- सदस्य; सीमा सुरक्षा बल	
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	- सदस्य। सीमा सुरक्षा बल	
(1)	(2)	(3)
7. निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीशियन)।	02*(2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (रु. 44900 - 142400)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)		
प्रोन्नति द्वारा।		

(11)		
<p>प्रोन्नति के द्वारा:-</p> <p>(i) उप निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीशियन या ब्लड बैंक तकनीशियन) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35400-112400) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा</p> <p>(ii) जिन्होंने प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमे से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।</p>		
(12)		(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल</p> <p>2. उप महानिरीक्षक - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल</p> <p>3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी - सदस्य। सीमा सुरक्षा बल</p>		लागू नहीं होता।
(1)	(2)	(3)
8. उप निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीशियन)।	23*(2026). (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (रु. 35400-112400)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)		
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।		

(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा:-</p> <p>(i) सहायक उप-निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीशियन) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु. 29200-92300) में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p>

(ii) जिन्होंने प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमे से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी;

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हों, या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (रु. 29200-92300) पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हों; अर्थात: -

- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12^{वीं} कक्षा उत्तीर्ण की हो; और
(ii) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन या प्रौद्योगिकी में दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा; और
(iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला निदान केंद्र या न्यूनतम सौ बिस्तरों वाले अस्पताल या संस्था में प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में न्यूनतम छह वर्षों का अनुभव।

(ग) चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हों, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को, छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें

लागू नहीं होता।

निम्नलिखित होंगे:-		
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) सीमा सुरक्षा बल	- अध्यक्ष;	
2. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;	
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य ।	
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-		
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) सीमा सुरक्षा बल	- अध्यक्ष;	
2. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;	
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य ।	
(1)	(2)	(3)
9. निरीक्षक (एक्स-रे/रेडियोग्राफर) ।	02 *(2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900- 142400)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)		
प्रोन्नति द्वारा।		
(11)		
प्रोन्नति द्वारा:-		
(i) उप निरीक्षक (एक्स-रे/रेडियोग्राफर) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35400-112400) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा		
(ii) जिन्होंने प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।		
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमे से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।		

(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:		लागू नहीं होता।
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा)	- अध्यक्ष;	
सीमा सुरक्षा बल		
2. उप महानिरीक्षक	- सदस्य;	
सीमा सुरक्षा बल		
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	- सदस्य।	
सीमा सुरक्षा बल		
(1)	(2)	(3)
10. उप निरीक्षक (एक्स-रे/रेडियोग्राफर)।	06 *(2026) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (रु. 35400-112400)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।
(10)		
प्रोन्नति द्वारा।		
(11)		
प्रोन्नति द्वारा:-		
(i) सहायक उप निरीक्षक (एक्स-रे/रेडियोग्राफर) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु. 29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा		
(ii) जिन्होंने प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।		
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमे से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।		

(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:		लागू नहीं होता।
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा)	- अध्यक्ष;	
सीमा सुरक्षा बल		

2. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;	
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य ।	
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:		
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) सीमा सुरक्षा बल	- अध्यक्ष;	
2. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;	
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य ।	
(1)	(2)	(3)
11. निरीक्षक (फिजियोथिरेपिस्ट)	02 *(2026). (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900- 142400)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)		
प्रोन्नति द्वारा।		
(11)		
प्रोन्नति द्वारा:-		
(i) उप निरीक्षक (फिजियोथिरेपिस्ट) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35400-112400) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा		
(ii) जिन्होंने प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।		
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमे से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।		

(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:		लागू नहीं होता।
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल		
2. उप महानिरीक्षक - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल		
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी - सदस्य। सीमा सुरक्षा बल		
(1)	(2)	(3)
12. उप निरीक्षक (फिजियोथिरैपिस्ट)।	15 *(2026). (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।
(10)		
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।		
(11)		
प्रोन्नति द्वारा:-		
(i) सहायक उप निरीक्षक (फिजियोथिरैपिस्ट) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु. 29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा		
(ii) जिन्होंने प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।		
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।		
प्रतिनियुक्ति द्वारा :		

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी;

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हों या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29200-92300) पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हों; अर्थात्: -
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12^{वीं} कक्षा उत्तीर्ण की हो; और
(ii) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपी में दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा; और
(iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी केंद्र या न्यूनतम सौ बिस्तरों वाले अस्पताल या संस्थान में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में न्यूनतम छह वर्षों का अनुभव ।
- (ग) चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए ।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हों, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को, छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) सीमा सुरक्षा बल	- अध्यक्ष;
2. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य ।

विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:		
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) सीमा सुरक्षा बल	- अध्यक्ष;	
2. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;	
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य ।	
(1)	(2)	(3)
13. उप निरीक्षक (दंत तकनीशियन)।	02 *(2026). (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400- 112400)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।
(10)		
प्रोन्नति द्वारा।		
(11)		
प्रोन्नति द्वारा:-		
(i) सहायक उप निरीक्षक (दंत तकनीशियन) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु. 29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा		
(ii) जिन्होंने प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।		
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमे से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।		
(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं होता।
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) सीमा सुरक्षा बल	- अध्यक्ष;	
2. उप महानिरीक्षक	- सदस्य;	

सीमा सुरक्षा बल 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी - सदस्य । सीमा सुरक्षा बल		
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:		
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल		
2. उप महानिरीक्षक - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल		
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी - सदस्य । सीमा सुरक्षा बल		
(1)	(2)	(3)
14. उप-निरीक्षक (ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन).	02* (2026). (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (रु. 35400-112400) ।	चयन ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।
(10)		
प्रोन्नति से।		
(11)		
प्रोन्नति द्वारा:-		
(i) सहायक उप-निरीक्षक (ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा;		
(ii) जिन्होंने प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।		

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमे से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।

(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. उप महानिरीक्षक - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी - सदस्य। सीमा सुरक्षा बल <p>विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. उप महानिरीक्षक - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी - सदस्य। सीमा सुरक्षा बल 	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)
15. उप-निरीक्षक (इलेक्ट्रॉनिक कार्डियो ग्राफिक्स तकनीशियन) ।	01* (2026). (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (रु. 35400-112400) ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)		
सम्मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ प्रोन्नति द्वारा ।		
(11)		
सम्मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ प्रोन्नति द्वारा :-		
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी;		
(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या		
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29200-92300) पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा		
(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों, अर्थात्:-		
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; तथा		
(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्ष की अवधि का इलेक्ट्रॉनिक कार्डियो ग्राफिक्स प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; तथा		
(iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा या कार्डियोलॉजी के एक सौ बिस्तरों वाले अस्पताल में 12 चैनल इलेक्ट्रॉनिक कार्डियो ग्राफिक्स, कार्डियक मॉनिटर, इको, डिफिब्रिलेटर, ट्रेडमिल टेस्ट (टीएमटी) तथा होल्टर मशीन जैसे कार्डियक उपकरणों के संचालन का न्यूनतम छह वर्ष का कार्य अनुभव।		
(ग) चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।		
टिप्पण-1: विभागीय सहायक उप-निरीक्षक (इलेक्ट्रॉनिक कार्डियो ग्राफिक्स तकनीशियन) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो, को बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा तथा यदि विभागीय अभ्यर्थी का चयन इस पद पर नियुक्ति के लिए हो जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।		
टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर वाह्य पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
(12)	(13)	
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	
(1)	(2)	(3)
16. सूबेदार मेजर (डायटीशियन) ।	01* (2026). (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तनशील)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 8 (रु. 47600-151100)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)		
सम्मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/प्रोन्नति द्वारा।		
(11)		
<p>सम्मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/प्रोन्नति द्वारा:-</p> <p>केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900-142400) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों, अर्थात्:-</p> <p>(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहार शास्त्र में मास्टर डिग्री; या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य विज्ञान और पोषण या खाद्य और पोषण आहार शास्त्र या आहार शास्त्र और खाद्य सेवा प्रबंधन में मास्टर डिग्री; या</p> <p>(ख) (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एससी. खाद्य या बी.एससी. खाद्य और पोषण या खाद्य विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहार शास्त्र या खाद्य और पोषण आहार शास्त्र या आहार शास्त्र और खाद्य सेवा प्रबंधन ; तथा</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आहार शास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; तथा</p> <p>(iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्तनिकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन न्यूनतम एक सौ विस्तर वाले अस्पताल या संगठन में आहार शास्त्र में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव;</p> <p>(ग) चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।</p> <p>टिप्पण-1: विभागीय निरीक्षक (डायटीशियन) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900-142400) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो, को बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा तथा यदि विभागीय अभ्यर्थी का चयन इस पद पर नियुक्ति के लिए हो जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।</p>		

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	
(1)	(2)	(3)
17. निरीक्षक (डायटीशियन)।	01* (2026). (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7 (रु. 44900-142400)।	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अनधिक आयु। टिप्पण-1: केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप और लद्दाख के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
(7)		
आवश्यक शैक्षणिक अर्हता:- (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खद्य और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहार शास्त्र में मास्टर डिग्री; या		

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य विज्ञान और पोषण या खाद्य और पोषण आहार शास्त्र या आहार शास्त्र और खाद्य सेवा प्रबंधन में मास्टर डिग्री; या

- (ख) (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एससी. खाद्य या बी.एससी. खाद्य और पोषण या खाद्य विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहार शास्त्र या खाद्य और पोषण आहार शास्त्र या आहार शास्त्र और खाद्य सेवा प्रबंधन; तथा
- (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आहार शास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; तथा
- (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्तिकाय विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन न्यूनतम एक सौ बिस्तर वाले अस्पताल या संगठन में आहार शास्त्र में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

टिप्पण-1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार पर अर्हताएं शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी भी प्रक्रम पर, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इन समुदायों से आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अनुसार, परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सीधे भर्ती हुए अभ्यर्थियों के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।
(10)	
सीधी भर्ती द्वारा	

(11)	(12)
लागू नहीं होता ।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. उप महानिरीक्षक - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी - सदस्य। सीमा सुरक्षा बल
(13)	
लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)
18. उप-निरीक्षक (मेडिक) ।	14* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (रु. 35400-112400) ।	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष ।
(10)		
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।		
(11)		
<p>प्रोन्नति द्वारा:-</p> <p>(i) सहायक उप-निरीक्षक (मेडिक) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा</p> <p>(ii) जिन्होंने प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमे से जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:-</p> <p>केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29200-92300) में पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों:-</p> <p>(i) बेसिक नर्सिंग सहायक या मेडिक पाठ्यक्रम;</p> <p>(ii) एडवांस नर्सिंग सहायक या एडवांस मेडिक पाठ्यक्रम; तथा</p>		

- (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मान्यता प्राप्त एक सौ बिस्तर वाले अस्पताल या संस्थान में नर्सिंग सहायक के रूप में न्यूनतम छह वर्ष का अनुभव।
- (ग) चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हों, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को, छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. उप महानिरीक्षक - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी - सदस्य। सीमा सुरक्षा बल <p>विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. उप महानिरीक्षक - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी - सदस्य। सीमा सुरक्षा बल 	<p>लागू नहीं होता।</p>

[फा. सं. सी-17/03/2023/कार्मिक-गोपनीय/सीसुब]

शिव लहरी मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2026

G.S.R. 373(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) and in supersession of the Border Security Force Combatised Para-Medical Staff Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the post of Sister In-charge (Subedar Major), Nursing Sister (Inspector), Staff Nurse (Sub-Inspector), Pharmacist/ Chief Emergency Medical Technician (Inspector), Pharmacist/Emergency Medical Technician (Sub-Inspector), Junior Dietician (Inspector), Physiotherapist (Sub-Inspector), Blood Bank Technician/Lab Technician (Sub-Inspector) and Senior Radiographer (Sub-Inspector), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Para-Medical Group 'B' Combatised Posts in Border Security Force under the Ministry of Home Affairs, namely:-

- 1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Border Security Force, Combatised Para-Medical Cadre Group 'B' post Recruitment Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.** - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and level in pay-matrix.** – The number of the said posts, their classification and level in the pay-matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Medical fitness for promotion.** - (1) For Combatised Staff promotion from one post to another in any grade or rank or post included in the Schedule, the person shall be required to conform to medical Category SHAPE-I as prescribed by the Government from time to time.
(2) Medical standard for direct recruits. - Only persons who are medically and physically fit as specified in the Ministry of Home Affairs guidelines dated the 20th May, 2015 on recruitment of medical examination in CAPFs/ARs and as per the scheme prescribed by the Central Government and subsequent amendments thereon from time to time shall be eligible for appointment to the posts specified in the column (1) of the Schedule under the provisions of these rules.

(3) Physical Standards for direct recruits. -

Sl. No		Height		Chest	
		Male	Female	Male	Female
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	The minimum height and chest for all candidates except those mentioned below (Un-reserved), Economically Weaker Section, Scheduled Caste and Other Backward Classes.	165 Cm	155 Cm	75-80 Cm	Not applicable
2.	The minimum height and chest for all candidates belonging to the Scheduled Tribes category of all States or Union territories or District except as given in the serial number 3 and 4.	160 Cm	148 Cm	75-80 Cm	Not applicable
3.	The minimum height and chest for all Scheduled Tribes hailing from North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	155 Cm	147 Cm	75-80 Cm	Not applicable
4.	The minimum height and chest for all Scheduled Tribes hailing from Left Wing Extremism affected districts.	158 Cm	147 Cm	75-80 Cm	Not applicable
5.	The minimum height and chest for the candidates falling in the categories of Garhwali, Kumauni, Dogras, Marathas and candidates belonging to the	162.5 Cm	152 Cm	75-80 Cm	Not applicable

	state of Assam, Himachal Pradesh and Union territory of Jammu and Kashmir.				
6.	The minimum height and chest for the candidate hailing from North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	160 Cm	150 Cm	75-80 Cm	Not applicable
7.	The minimum height and chest for the candidates hailing from Gorkha Territorial Administration comprising of the three Sub-Division of Darjeeling Districts namely Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following "Mouzas" Sub-Division of the districts :- (1) Lohagarh Tea Garden (2) Lohagarh forest (3)Tangmohan (4) Barachenga (5) Panighata (6) Chota Adalpur (7) Paharu (8) Sukna Forest (9) Sukna part-1 (10) Pantapati Forest-1 (11) Mahanadi Forest (12) Champasari Forest (13) Salbari Chhat Part-II (14) Sitong Forest (15) Sivoke Hill forest (16) Sivoke forest (17) Chhota Chenga (18) Nipania.	155 Cm	150 Cm	75-80 Cm	Not applicable
	Weight	Corresponding to height and age.			

(4) Should qualify the physical efficiency and written tests.

6. Disqualifications. - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said cadre:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Liability to serve.** - Any person appointed to any post under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

8. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

9. **Initial Constitution.** - The persons holding the posts mentioned in the Schedule on the date of commencement of these rules on continuous basis shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by them in the said post on continuous basis before the said commencement shall be taken into account for deciding their period of probation, seniority, pensionary benefits and eligibility for promotion to the next higher grade.

10. **Ineligibility of non-citizens of India.** - No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

11. **Superannuation.** - (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

- 12. Saving.** - Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special category of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post. (1)	Number of post. (2)	Classification. (3)
1.Subedar Major (Sister-in-charge).	24*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
Level in pay-matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level- 8 (Rs. 47600-151100) in the pay-matrix.	Selection.	Not applicable.
Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.		
(10)		
By promotion.		
In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.		
(11)		
By promotion:		
(i) Inspector (Nursing Sister) with two years regular service in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay-matrix; and		
(ii) Shall have successfully completed basic recruit training as prescribed at entry level.		
Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.		Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :		Not applicable.
1.Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force		
2.Deputy Inspector General : Member; Border Security Force		
3.Senior Medical Officer : Member. Border Security Force		

(1)	(2)	(3)
2. Inspector (Nursing Sister).	100*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level-7(Rs. 44900-142400) in the pay-matrix.	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10)		
Promotion failing which by deputation.		
(11)		
<p>By promotion:</p> <p>(i) Sub-Inspector (Staff Nurse) with five years regular service in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay-matrix; and</p> <p>(ii) Shall have successfully completed basic recruit training as prescribed at entry level.</p> <p>Note: - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By deputation:</p> <p>Officers of the Central Armed Police Forces or the Central Government or any State Government or any Union territory administration;</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay-matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications:-</p> <p>(i) 12th Class passed from a recognised Board; and</p> <p>(ii) having a degree or diploma in General Nursing Programme from recognised institute and;</p> <p>(iii) registered with Central or State Nursing Council as a General Nurse and Mid-wife.</p> <p>(c) Shall be medically fit.</p> <p>Note-1: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note-2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p>		

(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :		Not applicable.
1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force		
2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force		
3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force		
(1)	(2)	(3)
3. Sub-Inspector (Staff Nurse).	215* (2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay-matrix.	Selection.	Not exceeding thirty years of age. Note 1: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh.
(7)		
Essential qualification: -		
(a) 12 th Class passed from a recognised Board;		
(b) having a degree or diploma in General Nursing Programme from a recognised institute; and		
(c) shall be registered with Central or State Nursing Council as a General Nurse and Mid-wife.		
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.		
Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		
(8)	(9)	(10)
Age : Not applicable.	Two years.	Eight per cent. by promotion failing which by direct recruitment; and
Educational : Yes.		

qualifications.	Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in the relevant field for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Ninety-two per cent. by direct recruitment.
(11)		
By promotion:		
Head Constable Nurse or Auxiliary Nurse (Mid-wifery) in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay-matrix with ten years regular service in the grade and having diploma in General Nursing and Midwifery from an Institution recognised by the Central or State Nursing Council and registered with the Central or State Nursing Council as a General Nurse and Mid-wife.		
Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :		Not applicable.
1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force 2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force 3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force 2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force 3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force		
(1)	(2)	(3)
4.Subedar Major (Pharmacists).	11*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group, 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level-8 (Rs.47600-151100) in the pay-matrix.	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10)		
By promotion failing which by deputation.		

(11)	
<p>By promotion:</p> <p>(i) Inspector (Pharmacists) with two years regular service in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay-matrix; and</p> <p>(ii) Shall have successfully completed basic recruit training as prescribed at entry level.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By deputation:</p> <p>Officers of the Central Armed Police Forces or the Central Government or the State Government or the Union territory administration;</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years regular service in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay-matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>(i) 12th Class passed from a recognised Board; and</p> <p>(ii) diploma in Pharmacy of two years duration from an institute recognised by the Central Government or a State Government and shall be registered as a Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948); and</p> <p>(iii) experience of duration of minimum two years as Pharmacist in a minimum hundred bedded hospital or institution recognised by the Central Government or a State Government.</p> <p>(c) Shall be medically fit.</p> <p>Note-1: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note-2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p>	

(12)	(13)
<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force</p> <p>2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force</p>	Not applicable.

3.Senior Medical Officer : Member. Border Security Force		
(1)	(2)	(3)
5. Inspector (Pharmacist).	29*(2026). *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay-matrix.	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10)		
By promotion failing which by deputation.		
(11)		
By promotion:		
<p>(i) Sub-Inspector (Pharmacist) with five years regular service in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay-matrix; and</p> <p>(ii) Shall have successfully completed basic recruit training as prescribed at entry level.</p>		
<p>Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>		
By deputation:		
Officers of the Central Armed Police Forces or the Central Government or a State Government or a Union territory administration;		
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
(ii) with five years regular service in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay-matrix in the parent cadre or department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-		
(i) 12 th Class passed from a recognised Board; and		
(ii) diploma in Pharmacy of two years duration from an institute recognised by the Central Government or a State Government and shall be registered as Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948); and		
(iii) experience of duration of minimum five years as Pharmacist in a minimum hundred bedded hospital or institution recognised by the Central Government or a State Government.		
(c) Shall be medically fit.		
<p>Note-1: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
<p>Note-2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p>		

Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.		
(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-		Not applicable.
1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force		
2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force		
3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force		
(1)	(2)	(3)
6. Sub-Inspector (Pharmacist).	67*(2026). *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 6 (Rs. 35400-112400) in the pay-matrix.	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.
(10)		
By promotion.		
(11)		
By promotion :		
(i) Assistant Sub-Inspector (Pharmacist) with six years regular service in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay-matrix; and		
(ii) Shall have successfully completed basic recruit training as prescribed at entry level.		
Note: - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :		Not applicable.
1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force		
2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force		
3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force		
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :		

1. Inspector General (Medical) : Border Security Force	Chairperson;	
2. Deputy Inspector General : Border Security Force	Member;	
3. Senior Medical Officer : Border Security Force	Member.	
(1)	(2)	(3)
7. Inspector (Laboratory Technician).	02*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 7(Rs.44900-142400) in the pay-matrix.	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10)		
By promotion.		
(11)		
By promotion:		
(i) Sub-Inspector (Laboratory Technician or Blood Bank Technician) with five years regular service in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay-matrix; and		
(ii) Shall have successfully completed basic recruit training as prescribed at entry level.		
Note: - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:		Not applicable.
1. Inspector General (Medical) : Border Security Force	Chairperson;	
2. Deputy Inspector General : Border Security Force	Member;	
3. Senior Medical Officer : Border Security Force	Member.	
(1)	(2)	(3)
8. Sub-Inspector (Laboratory Technician).	23*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 6 (Rs. 35400-112400) in the pay-matrix.	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.
(10)		
By promotion failing which by deputation.		

(11)	
<p>By promotion:</p> <p>(i) Assistant Sub-Inspector (Laboratory Technician) with six years regular service in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay-matrix; and</p> <p>(ii) Shall have successfully completed basic recruit training as prescribed at entry level.</p> <p>Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By deputation:</p> <p>Officers of the Central Armed Police Forces or the Central Government or the State Government or the Union territory administration;</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) with six years regular service in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay-matrix in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: -</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) 12th Class passed from a recognised Board; and</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) diploma in Medical Laboratory Technician or Technology of two years duration from an institution recognised by the Central Government or a State Government; and</p> <p style="padding-left: 40px;">(iii) experience of minimum six years as Laboratory Technician from a Laboratory Diagnostic Centre or minimum hundred bedded hospital or an institution recognised by the Central Government or a State Government.</p> <p>(c) Shall be medically fit.</p> <p>Note-1: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note-2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p>	
(12)	(13)
<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force</p> <p>2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force</p>	Not applicable.

3.Senior Medical Officer : Member; Border Security Force Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1.Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force 2.Deputy Inspector General : Member; Border Security Force 3.Senior Medical Officer : Member; Border Security Force		
(1)	(2)	(3)
9. Inspector (X-Ray/ Radiographer).	02 *(2026). *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level-7(Rs.44900-142400) in the pay- matrix.	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10)		
By promotion.		
(11)		
By promotion: (i) Sub-Inspector (X-Ray/Radiographer) with five years regular service in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay- matrix; and (ii) Shall have successfully completed basic recruit training as prescribed at entry level. Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force 2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force 3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force		Not applicable.
(1)	(2)	(3)
10. Sub-Inspector (X-Ray/ Radiographer).	06 *(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 6 (Rs. 35400-112400) in the pay-matrix.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.
(10)		
By promotion.		
(11)		
By promotion:		
(i) Assistant Sub-Inspector (X-Ray/Radiographer) with six years regular service in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay-matrix; and		
(ii) Shall have successfully completed basic recruit training as prescribed at entry level.		
Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-		Not applicable.
1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force		
2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force		
3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force		
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :		
1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force		
2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force		
3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force		
(1)	(2)	(3)
11. Inspector (Physiotherapist).	02 *(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay-matrix.	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10)		
By promotion.		
(11)		
By promotion:		
(i) Sub-Inspector (Physiotherapist) with five years regular service in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay-matrix; and		

(ii) Shall have successfully completed basic recruit training as prescribed at entry level.		
Note: - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force 2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force 3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force		Not applicable.
(1)	(2)	(3)
12. Sub-Inspector (Physiotherapist).	15 *(2026). *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay-matrix.	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.
(10)		
By promotion failing which by deputation.		
(11)		
By promotion :		
(i) Assistant Sub-Inspector (Physiotherapist) with six years regular service in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay-matrix; and		
(ii) Shall have successfully completed basic recruit training as prescribed at entry level.		
Note: - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
By deputation:		
Officers of the Central Armed Police Forces or the Central Government or the State Government or the Union territory administration: -		
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
(ii) with six years regular service in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay-matrix in the parent cadre or department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: -		
(i) 12 th Class passed from a recognised Board; and		

(ii) diploma in Physiotherapy of two years duration from an institute recognised by the Central Government or a State Government; and

(iii) experience of minimum six years as Physiotherapist from a Physiotherapy Centre or minimum hundred bedded Hospital or Institute recognised by the Central Government or the State Government.

(d) Shall be medically fit.

Note-1: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note-2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.

Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-		Not applicable.
1. Inspector General (Medical) : Border Security Force	Chairperson;	
2. Deputy Inspector General : Border Security Force	Member;	
3. Senior Medical Officer : Border Security Force	Member.	
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-		
1. Inspector General (Medical) : Border Security Force	Chairperson;	
2. Deputy Inspector General : Border Security Force	Member;	
3. Senior Medical Officer : Border Security Force	Member.	
(1)	(2)	(3)
13. Sub-Inspector (Dental Technician).	02 *(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay-matrix.	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.
(10)		
By promotion.		

(11)		
By promotion:		
(i) Assistant Sub-Inspector (Dental Technician) with six years regular service in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay-matrix; and		
(ii) Shall have successfully completed basic recruit training as prescribed at the entry level.		
Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-		Not applicable.
1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force		
2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force		
3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force		
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:		
1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force		
2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force		
3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force		
(1)	(2)	(3)
14. Sub-Inspector (Operation Theatre Technician).	02 *(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 6 (Rs.35400-112400) in the pay-matrix.	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.
(10)		
By promotion.		
(11)		
By promotion:		
(i) Assistant Sub-Inspector (Operation Theatre Technician) with six years regular service in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay-matrix; and		
(ii) Shall have successfully completed basic recruit training as prescribed at entry level.		
Note: - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force 2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force 3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force 2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force 3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force		Not applicable.
(1)	(2)	(3)
15. Sub-Inspector (Electronic Cardio Graphics Technician).	01*(2026). *Subject to variation dependent on Workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 6 (Rs. 35400-112400) in the pay-matrix.	Not applicable.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10)		
Composite method-By deputation (including short term contact)/promotion.		
(11)		
Composite method-By deputation (including short term contact)/promotion: Officers of the Central Armed Police Forces or the Central Government or the State Government or the Union territory administration,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay-matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: - (i) 12 th Class passed with Science as a subject from a recognised board; and (ii) diploma in Electronic Cardio Graphics Technology of two years duration from an Institute recognised by the Central Government or a State Government; and (iii) working experience of minimum six years of handling Cardiac equipment like 12 channel Electronic Cardio Graphics, Cardiac monitor, Echo, Defibrillator, Treadmill test (TMT) and Holter Machine in a hundred bedded hospital in Medicine or Cardiology recognised by the Central Government or a State Government.		

(c) Shall be medically fit.

Note-1: The departmental Assistant Sub-Inspector (Electronic Cardio Graphics Technician) with six years regular service in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay-matrix shall be considered alongwith outsiders and in case the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be deemed to have been filled by promotion.

Note-2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.

Note-3: The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)		(13)
Not applicable		Not applicable
(1)	(2)	(3)
16.Subedar Major (Dietician).	01 *(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 8 (Rs. 47600-151100) in the pay-matrix.	Not applicable.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable..
(10)		
Composite method-By deputation (including Short term contact)/promotion.		

(11)

Composite method-By deputation (including Short term contact)/ promotion:-

Officers of the Central Armed Police Forces or the Central Government or the State Government or the Union territory administration;

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years regular service in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay-matrix in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: -

(a) Master's degree in Food and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics from a recognised University or institute; or

Master's degree in Food Science and Nutrition or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food Service Management from a recognised university or Institute; or

(b) (i) B.Sc. Food or B.Sc. Food and Nutrition or Food Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food Service Management from a recognised university or institute; and

(ii) post graduate diploma in Dietetics from a recognised university or institute; and

(iii) two years practical experience in Dietetics in a minimum hundred bedded hospital or organisation under the Central or a State Government or an autonomous body or a recognised University or a recognised Research institute; and

(c) Shall be medically fit.

Note-1: The departmental Inspector (Dietician) with two years regular service in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay-matrix shall be considered alongwith outsiders and in case the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be deemed to have been filled by promotion.

Note-2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.

Note-3: The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)		(13)
Not applicable.		Not applicable.
(1)	(2)	(3)
17. Inspector (Dietician).	01*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 7 (Rs. 44900-142400) in the pay-matrix.	Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. Note 1: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh.
(7)		

Essential qualification:

- (a) Master's degree in Food and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics from a recognised University or institute;
or
Master's degree in Food Science and Nutrition or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food Service Management from a recognized university or institute;
or
- (b) (i) B.Sc. Food or B.Sc. Food & Nutrition or Food Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food Service Management from a recognised university or institute; and
- (ii) Post graduate diploma in Dietetics from a recognised university or institute; and
- (iii) One year practical experience in Dietetics in a minimum hundred bedded hospital or organisation under the Central or a State Government or an autonomous body or a recognised university or recognised Research institute.

<p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>		
(8)	(9)	
Not applicable.	Two years.	
<p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field to direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.</p>		
(10)		
By direct recruitment.		
(11)	(12)	
Not applicable.	<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force</p> <p>2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force</p> <p>3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force</p>	
(13)		
Not applicable.		
(1)	(2)	(3)
18. Sub-Inspector (Medic).	14 *(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 6 (Rs. 35400-112400) in the pay-matrix.	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.
(10)		
By promotion failing which by deputation.		
(11)		
<p>By promotion:</p> <p>(i) Assistant Sub-Inspector (Medic) with six years regular service in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay-matrix; and</p> <p>(ii) Shall have successfully completed basic recruit training as prescribed at entry level.</p>		
<p>Note:- Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully</p>		

completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation:

Officers of the Central Armed Police Forces or the Central Government or the State Government or the Union territory administration;

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with six years regular service in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay-matrix in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications; -

(i) Basic Nursing Assistant or Medic Course;

(ii) Advance Nursing Assistant or Advance Medic Course; and

(iii) experience of minimum six years as Nursing Assistant in hundred bedded Hospital or institute recognised by the Central Government or a State Government or Central Armed Police Forces Hospitals.

(c) Shall be medically fit.

Note-1: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note-2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.

Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force 2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force 3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force 2. Deputy Inspector General : Member; Border Security Force 3. Senior Medical Officer : Member. Border Security Force	Not applicable.

[F. No. C-17/03/2023/Pers-Confid/BSF]

SHIV LAHRI MEENA, Under Secy.